From,

District Judge
Hapur

To,

Sri Pushpender Singh,
Joint Registrar (J)/CPC
High Court, Allahabad.

No. 792/XV /D.J./Hapur, Dated: June, 20, 2020

Subject- **Regarding closure of District Court Hapur (Headquarter).**

Sir,

Incompliance of Hon'ble High Court's letter no. 1091/IV-CPC/e-Court/Allahabad dated: 05.05.2020 and subsequent letter no 1093/IV-CPC/e-Court/Allahabad, dated: 07.05.2020, the District Magistrate Hapur vide letter no 18267/J.A.-D.M./COVID-19/2020 dated 19 June, 2020 (Copy enclosed as Annexure-1) submitted amended report that the Court Compound of District Court Hapur falls under the containment/ buffer zone.

As the Court Compound of District Court Hapur falls under the containment/ buffer zone, District Court Hapur (Headquarter) has been closed till further order as per the resolutions of Hon'ble Court dated 02.05.2020.

Information is being sent for your kind perusal and necessary directions.

"With Regards"

Yours Sincerely

S.K. 20/6/2020

District Judge,
Hapur

No. / D.J./Hapur, Dated: June 20, 2020

Copy to:- Private Secretary, Hon'ble Administrative Judge, with request to kindly place the same before Hon'ble Lordship for His Lordship's perusal and directions.

District Judge,
Hapur.

Annexure-1

संशोधित आख्या

प्रेषक,

जिलामजिस्ट्रेट,
हापुड़।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
जनपद–हापुड़।

पत्रांक 18267 /जे0ए0–डी0एम0/कोविड–19/ 2020 दिनांक:– 19, जून, 2020

विषय:– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1091/ IV-CPC/e-Court/Allahabad दिनांकित 05.05 2020 एंव 1093/ IV-CPC/e-Court/Allahabad दिनांकित 07.05.2020में दिये गये निर्देशो का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने न्यायालय के पत्र दिनांक 09.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के 1091/ IV-CPC/e-Court/Allahabad दिनांकित 05.05 2020 तथा पत्रांक 1093/IV-CPC/e-Court/Allahabad दिनांक 07,मई 2020 के कम में यह आख्या चाही गयी है कि जिला एवं सत्र न्यायालय, हापुड़ परिसर एवं वाह्य न्यायालय गढमुक्तेश्वर के जोन के सम्बन्ध में दैनिक स्थिति (Daily Status) एंव जोन परिवर्तन तथा नियन्त्रण क्षेत्र में होने अथवा न होने की स्थिति के सन्दर्भ आख्या प्रतिदिन प्रेषित किये जाने हेतु अंकित किया गया है ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह(गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 1382/2020–सी0एक्स0–3 दिनॉक 31.05.2020 , मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ कार्यालय के पत्रांक 1431/2020/सीएक्स–3 दिनॉक 06.06.2020 तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ कार्यालय के पत्रांक 1274/पॉच– 5–2020 दिनॉक 13.06.2020 में अंकित निदेर्शो के कम में जनपद–हापुड़ में कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण किया जा रहा है।

दिनॉक 19.06.2020 की अपरान्ह को जनपद–हापुड के तहसील–हापुड के कस्बा हापुड के मौहल्ला छज्जूपुरा की निवासनी प्रवेश रानी पत्नी योगेश कुमार उम्र करीब–35 वर्ष 2– मयंक गोयल पुत्र संजय कुमार उम्र करीब 25 वर्ष की कोरोना वायरस (कोविड–19) की पॉजीटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 18262/न्याय सहायक दिनॉक 19.06.2020 के द्वारा जनपद–हापुड में स्थित तहसील–हापुड के कस्बा–हापुड मौ0 छज्जूपुरा को 250 कन्टेनमेन्ट जोन से बढ़ा कर मौ0 छज्जूपुरा से 500 मीटर कन्टेनमेन्ट जोन, 250 मीटर बफर जोन इस प्रकार कुल 750 मीटर की रेडियश में जिसमें कस्बा हापुड़ के मौ0 छज्जूपुरा के साथ–साथ सराय चॉद खॉ, सूर्य विहार, शम्भूपुरा, टीचर कालौनी, रघुवीर गंज, शान्ति बिहार, न्यू आलोक कालोनी, तथा बफर जोन में अशोक कालोनी, ज्ञान लोक एंव गंगापुरा भी सम्मिलित रहेगें को नियन्त्रण क्षेत्र/बफर जोन घोषित किया जाकर मौ0 ज्ञान लोक का प्रथक से घोषित किया गया कन्टेनमेन्ट क्षेत्र इसी क्षेत्र के साथ सम्मिलित किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 18262/न्याय सहायक दिनॉक 19.06.2020 के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय, हापुड का परिसर का क्षेत्र नियन्त्रण क्षेत्र/बफर जोन के अन्तर्गत आता है।

2:– तहसील–गढमुक्तेश्वर के कस्बा गढमुक्तेश्वर के मौ0 आदर्श नगर , मौ0 स्याना चौपला तथा मौ0 अम्बेडकर चौक को कन्टेनमेन्ट घोषित किया गया है, जिसमें कस्बे की संवेदनशीलता एंव संकमण की तीव्रता बनी हुई है, तहसील–गढमुक्तेश्वर में भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन की समस्त शर्तें लागू है जिनका उक्त ग्रामवासियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु वर्तमान में आउटलाईन कोर्ट कैम्पस, गढमुक्तेश्वर नियन्त्रण क्षेत्र के अन्तर्गत नही आता है।

आख्या सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में प्रेषित है।

सलंग्नक–यथोक्त।

19/6/20

कृते जिला मजिस्ट्रेट,
हापुड़